

07/8/25

कोड 3.71

दिनांक १५.०७.२५ को कर्मचारीगण
 सामूहिक भवकाश में होने से पत्रावली भाज पेश हुई
 अतिथीजन अधिकाारी उपस्थित। मुलाजिम
 विनोद अथ अधिवक्ता उपस्थित। शेष मुलाजिमगण अठ्ठ
 हाजरी गान्नी धर्मो अधिवक्ता पेश हुई जो स्वीकार
 की गई। अतिथीजन अधिकाारी ने एक प्रां पत्र वाक्ये
 गवाह हुकमचन्द्र का नाम माध्य स्त्री में जुड़वाते गवा
 पेश किया गया। वकल अधिवक्तागण के अधिवक्ता को
 दिलवाई गई। मुल० विनोद के अधिवक्ता की विशेष पारीक
 मुल० केलारा, मिलेश, कमलेश के अधिवक्ता की समय पत्र
 ने उक्त प्रां पत्र पर अनापत्ति जादिर की। मुल०
 भाकाश, खुशवंत, रवि के अधिवक्ता मुकेश जोशी ने
 प्रां पत्र को स्वीकार किया जाने पर आपत्ति

मुद्रित (पत्र न्यायिक प्रजिस्टरी)
 अतिरिक्त मुद्रित (राज्य)

तारीख
हुकम

Cm Regy 443/2016
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

शाब्द v/s रविप्रकाश) ए

Comp. →

जादिर की। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। बहरस सुनी गई। उक्त गवाह हुकमचन्द
जाजौरिया महत्वपूर्ण गवाह है पत्रावली में समाज
कल्याण विभाग द्वारा पेशा दरसावेजो की उक्त
गवाह द्वारा ही प्रमाणित किया गया है। इसलिये
उक्त सब प्रमाण स्वीकार किया जाना स्वीत
होता है। अतः प्रमाण स्वीकार कर गवाह
हुकमचन्द जाजौरिया परीक्षा एवं आरागृह कल्याण
अधिकारी बून्दी हाल - सहायक निदेशक बाल संरक्षण
ईकाई जिला - बून्दी बाल अधिकारिता विभाग बून्दी
को गवाह लिस्ट में जोड़ने का आदेश दिया
जाता है। उक्त गवाह को B/w 500/- से
तलब करें। पत्रावली वाले साक्ष्य अभियोजन
में दिनांक 18.8.25 को पेश हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (सज०)